

विषय :- विभिन्न मंत्रालयिक कर्मचारी संघों के आह्वान पर किये गये सामूहिक आंदोलन/ हड़ताल/अवकाश अवधि का उपार्जित अवकाश /अन्य देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किये जाने के संबंध में।

विभिन्न मंत्रालयिक कर्मचारी संघों के आह्वान पर अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10.04.2023 से 12.06.2023 तक के सामूहिक आंदोलन/ हड़ताल/अवकाश अवधि का उपार्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(1)वित्त/गुप-2/89 दिनांक 14.03.2022 के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृत कर नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त सामूहिक आंदोलन/ हड़ताल/ अवकाश की अवधि का उपार्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश उन्हीं अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्वीकृत किया जाना है, जो दिनांक 10.04.2023 से 12.06.2023 तक किये गये सामूहिक अवकाश/हड़ताल को समाप्त कर दिनांक 13.06.2023 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गये हैं।

यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है।



(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-I,

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विशिष्ट शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष

अशा.टीप.सं.प. 1(1)वित्त/गुप-2/89

जयपुर, दिनांक : 21 JUN 2023

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैं

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय,
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव
3. निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
4. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान
5. प्रशासनिक सुधार (गुप-7) विभाग
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)



संयुक्त शासन सचिव-I,